

## @ Shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य -16.01.21

थाना सिंधौली पुलिस ने किया संजीव हत्याकाण्ड का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, शराब के नशे में की हत्या ।

मृतक संजीव का मोबाइल व 2500 रुपये बरामद ।

दिनांक 15.01.2021 को वादी मुकदमा श्री अंशुल दीक्षित पुत्र संजीव कुमार नि० गोलारायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने पिता संजीव उम्र 45 वर्ष की अभियुक्तगण 1- मनोज अवस्थी पुत्र सत्यदेव 2-मलखान पुत्र मूला नि० गोलारायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा हत्या कर देने के शक के आधार पर थाना सिंधौली में तहरीर दी गयी । तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सिंधौली पुलिस द्वारा मु०अ०स० 24/21 धारा 302/201 भादवि बनाम वाइस्तवा 1- मनोज अवस्थी पुत्र सत्यदेव 2-मलखान पुत्र मूला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुये गहनता से विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

हत्या की इस घटना को श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा श्री नवनीत कुमार क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये ।

श्री जगनारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक सिंधौली द्वारा विवेचना के मध्य अभियुक्तगण मनोज व मलखान से गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त मनोज अवस्थी की निशानदेही पर उसके घर के आंगन में पड़े ईंटों के टुकड़ों के बीच से मृतक संजीव का मोबाइल व 2500 रुपये बरामद किये गये । जिस सम्बन्ध में थाना सिंधौली पर विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त मनोज ने बताया कि मृतक संजीव व हम दोनो आपस में मित्र है तथा रोजाना आपस में बैठकर शराब पीते है, घटना से दो महीने पहले नशे की हालत में मृतक संजीव का मोबाइल गिर गया था जिसका हरजाना उसने मुझसे गाँव वालों के सामने लिया था जिसका बदला लेने के लिये संजीव व मलखान को अपने घर पर शराब पिलाया तथा हम दोनो ने मिलकर संजीव की गला दवाकर हत्या कर दी तथा घटना को छुपाने के लिये व किसी को शक न हो इसलिये उसके शव को घसीटकर उसके घर के बाहर खडंजे पर फेक दिया था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- मनोज अवस्थी पुत्र सत्यदेव नि० गोलारायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 2-मलखान पुत्र मूला नि० गोलारायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

मु०अ०स० 24/21 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित मृतक संजीव का मोबाइल व 2500 रुपये ।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम -

- 1-प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2-उ०नि०नौबहार सिंह थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3- उ०नि०भारत सिंह थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 4-का० 741 राजकिशोर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 5-का० 1889 लवकेश कुमार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।